समक्ष :माननीय राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर

निगरानी कमाक /2017

प्रकाश तनय सरमन अहिरवार निवासी ग्प्रम जमुनिया खास तहसील ओरछा जिला टीकमगढ म.प्र. । ..आवेदक

I/निगरानी/टीकमगढ/भू-रा/2017/2368

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन द्धारा कलेक्टर टीकमगढ जिला टीकमगढ म.प्र. ....अनावेदक

श्री ... द्वारा आज दि. 25/7/17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 7/17 राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

न्यायालय कलेक्टर टीकमगढ द्धारा प्रकरण क 209/बी–121/2016–2017 मे पारित आदेश दिनांक 27.6.2017 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू – राज्य संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन निगरानी

माननीय महोदय ,

सेवा मे आवेदक की ओर से निवेन निम्न प्रकार है :–

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध अनुचित एंव विधि के उपवन्धो के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
2. यहकि, अधीनस्थ विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदक द्धारा इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि ग्प्रम जमुन्याखास तहसील ओरछा जिला टीकमगढ भूमि ख0न0 143/1/2 रकवा 0.600 आरे भूमि स्थिति जमुन्या भाटा तहसील ओरछा की भूमि विकय किये जाने की अनुमति चाही गई है आवेदक द्धारा भूमि विकय करने का कारण प्रश्नगत भूमि उबड –खावड पथरीली होने से अन्यत्रं भूमि कय करना बताया गया जिस आवेदन पत्र से प्रकरण क 209/बी–121/2016–17 दर्ज किया जाकर प्रकरण में दिनांक 3.5.17 को प्रकरण को तर्क हेतु नियत किया उसके वाद दिनांक 15.5.17 को प्रकरण में पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त होने से पेशी वडाई जाकर 27.6.17 नियत की जाकर आवेदक की अनुपस्थिति में ही प्रकरण को समाप्त कर निराकरण कर दिया गया जवकि प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय रिकार्ड तलव नही किया जांच नही की गई ओर नाही आवेदक को कोई सूचना दी गई मात्र तकनीकि विन्दु पर प्रकरण को निराकरत करने में वैधानिक भूल की है जो आलोच्य आदेश निरस्त किया जाकर आवेदक को उक्त भूमि विकय करने की अनुमति प्रदान किया जाना न्याय संगत है।

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/टीकमगढ/भू.रा./2017/2368 **जिला** – टीकमगढ

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02.01.2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री सुनील जादौन एवं अनावेदक शासन की ओर से अधिवक्ता श्री अजय चतुर्वेदी उपस्थित। उन्हें ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। 2/ उभयपक्षों के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया। आलोच्य आदेश को देखने से स्पष्ट है कि कलेक्टर टीकमगढ द्वारा आवेदक की अनुपस्थिति के कारण अदम पैरवी में निरस्त किया गया। संहिता के प्रावधानों के तहत अदम पैरवी में निरस्त किए गए प्रकरण के संबंध में पुनर्स्थापन आवेदन उसी न्यायालय में प्रस्तुत करने या सक्षम न्यायालय में अपील का प्रावधान है। अदम पैरवी में पारित आदेश के विरुद्ध निगरानी प्रचलन योग्य नहीं है। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी अग्राह्य की जाती है। प्रशासकीय सदस्य	